संख्या- 28/2018/43/71-3-2018-24/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 05 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 55416.71 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 55416.71 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 14681.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015	575.80
2	शासनादेश संख्या-49/2015/517/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 18-03-2015	1500.00
3	शासनादेश संख्या-71/2015/556/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 27-03-2015	212.10
4	शासनादेश संख्या-153/2015/1797/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 02-09-2015	2500.00
5	शासनादेश संख्या-222/2015/2764/71-1-2015-जी-585/2012, दिनॉक 28-12-2015	2227.40
6	शासनादेश संख्या-23/2016/390/71-1-2016-जी-585/2012, दिनॉक 23-02-2016	1272.60
7	शासनादेश संख्या-140/2016/1198/71-1-2016-जी-585/2012, दिनॉक 27-06-2016	2400.00
8	शासनादेश संख्या-195/2016/2302/71-1-2016-जी-585/2012, दिनॉक 12-09-2016	2091.00
9	शासनादेश संख्या-17/2017/122/71-1-2017-जी-585/2012, दिनॉक 31-01-2017	952.54
10	शासनादेश संख्या-141/2017/4203/71-1-2017-जी-585/2012, दिनॉक 28-12-2017	950.00
	योग-	**14681.44**

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3749, दिनॉक 27-02-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, जौनपुर के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 12,72,60,000/- (रू0 बारह करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैा किन्हीं अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/महानिदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तो तथा वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाये कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- उक्त अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

6- शासनादेश संख्या-6/2015/2449/71-1-2014-जी-585/2012, दिनॉक 12-01-2015 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-15-मेडिकल कालेज, जौनपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:- 28/2018/43(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर।
5- कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in